पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1829/ 36सी

दिनांक रानीखेत, 8/09/,2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में मझेड़ा कुमारती सौरे नौरड़ मोटर मार्ग का निर्माण।**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक शून्य दिनांक 03.09.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Please submit the hard copy of uploaded document and online part 1 hard copy with 4 set as per EDS	पूर्व में प्रेषित आपत्तियों के निराकरण की पुनः हार्ड कापी 4 प्रति में प्रेषित है।

संलग्न - पूर्व आपत्ति निराकरण का पत्र एवं 4-4 प्रति,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(नोडल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

1.6

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 451/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में मझेड़ा कुमारती - सौरे - नौरड़ मोटर मार्ग का निर्माण। (ल० 5.0कि

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुमारती / सौरे
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (—×— हे0 आरक्षित वन भूमि, ——— हे0 सिविल सोयम भूमि 0.270 हे0, वन पंचायत भूमि 0.360 हे0) अर्थात कुल 0.630 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सौरे/कुमारती द्वारा दिनांक 8.3.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौरे / कुमारती के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0/—
क्षेत्र
ग्राम सचिव
वि० ख० अल्मोड़ा

21-5-16
प्रधान
ग्राम पंचायत सौरे
वि०ख० भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

ह0/—
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत
वि० ख० भिकियासैंण

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 8/3/016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....सौरे / कुम्हाली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्याम सिंह नेगी कुम्हाली	[illegible]
2	[illegible]	
3.	शेरीराम	शेरीराम
4.	शिवासिंह	शिवासिंह
5	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible] गोपालसिंह नेगी	[illegible]
8	प्रतापसिंह नेगी	[illegible]
(9)	त्रिलोकसिंह	[illegible]
10	श्यामसिंह	[illegible]
11	तुलसी देवी	तुलसीदेवी
12	मोहनी देवी	मोहिनी देवी
13	गोपालसिंह	[illegible]
14	आनन्दसिंह	आनन्दसिंह

ह0 /–
ग्राम प्रधान

[illegible]
(एच0 एस0 नेगी)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत–सौरे
वि0ख0 भिक्यासैन (अल्मोड़ा)

[illegible]
सदस्य
क्षेत्र पंचायत विनोली
वि0ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रधान [illegible]
ग्राम पंचायत [illegible] / [illegible]
वि0ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में मझेड़ा-कुमारती-सौरे-नौरड मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैंण

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भिकियासैंण

उपखण्ड भिकियासैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (—) हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.270 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.360 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.630 हे0 वन भूमि) का लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भिकियासैंण) की दिनांक 14-06-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हेमन्त वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री हेमन्त वर्मा उपजिलाधिकारी भिकियासैंण अध्यक्ष
2— श्री वी. के. सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत सदस्य
3— श्री राजेन्द्र सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिकियासैंण सदस्य / सचिव
4— श्री सविता देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र विनोली
हरपाल सिंह क्षेत्र सौरे

सदस्य क्षेत्र पंचायत विनोली वि0ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0 ख0 भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में मझेड़ा-कुमारती-सौरे-नौरड मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.630 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

(एच0 एस0 नेगी) सदस्य क्षेत्र पंचायत—सौरे वि0ख0 भिकयासैन (अल्मोड़ा)

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भिकियासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसेड़ा-कुमारती - सौरे - नौरड़ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.630 हे0 वन भूमि 00.88 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी, भिकियासैण (अल्मोड़ा)

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– भिकियासैण
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी, भिकियासैण (अल्मोड़ा)

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– भिकियासैण
जनपद अल्मोड़ा

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector : Almora

No :....................................... Dated:...............

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..0.650.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction....of Motor Road from Majhera- kumadi - Sorai - Naurad ....

(Purpose for diversion of forest land) in..Almora....district falls within jurisdiction of majhera.village(s) in.Bhikyasain.Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.0.630...Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

D.M.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.630. het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिल्ला वन्यजन्तु कल्याण अधिकारी

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. **Savin Bansal,** I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date....................................at time................................at Almora. in which application claiming rights of .... area measuring .0.630. hect. for the Construction of .Motor Road from Majhera-Kumarti-Suari-Nauraid............ of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में मझेड़ा - कुमारती - सौरे नौरड मोटर मार्ग का निर्माण। (कि0मी0 ?)

वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 .... के अनुसार प्रमाण–पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित मझेड़ा - कुमारती - सौ नौरड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.630 है(वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्त एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय व अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में को भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी

Ameen Pramar Patra/Arvind

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में, मझेड़ा-कुमारती-सौरे-नौरड़ मोटर मार्ग का निर्माण। किमी0 5.00

वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 .... के अनुसार प्रमाण–पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित मझेड़ा-कुमारती-सौरे नौरड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.630 है0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी

Ameen Pramar Patra/Arvind

प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.4

परियोजना का नाम :– मझेड़ा - कुमारती - सौरे - नौरड - मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5.00 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित मझेड़ा - कुमारती - सौरे - नौ परियोजना के निर्माण हेतु 0.680 है0 वन भूमि लो0 नि0 वि0 (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रायोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे है।

[signature]

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा,

Ameen Pramar Patra/Arvind

TO WHOM MAY CONCERN

Letter No:- 2868/10 S.O.E.O.-01/21 Dated...24.7.21

Mr. Lalit Kumar Goel, Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Ranikhet (Almora) is being authorized to make online submission of the Forest Land Transfer Proposal under the jurisdiction of Provincial Division, P.W.D., Ranikhet.

24/7/21

Superintending Engineer,
1st Circle, P.W.D.,
Almora